राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः–प.6(303)नविवि/3/2010 जयपुर दिनांकः– 5 DEC 2011

परिपत्र

राजस्व विभाग के द्वारा समस्त जिला कलेक्टर को प्रेषित पत्र क्रमांक प.1(3)राज–6/11 दिनांक 08.11.2011 द्वारा निर्देश प्रदान किये गये थे कि केन्द्र सरकार द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम 2011 लोकसभा में पेश कर दिया गया है। अतः राज्य में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही चालू रखी जावे परन्तु भूमि के एवज में मुआवजा एवं अन्य भुगतान बिल के पास होने तक पेन्डिग रखा जावे।

उक्त निर्देशों के कारण इस विभाग की विभिन्न परियोजनाओ/योजनाओ के समयबद्ध क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पडने के कारण उक्त निर्देशों से इस विभाग की परियोजना/योजनाओ को छूट प्रदान करने हेतु राजस्व विभाग का ध्यान आकृष्ट किया जाने पर राजस्व विभाग ने उक्त निर्देश दिनांक 8.11.2011 से इस विभाग की निम्न परियोजनाओ/योजनाओ को छूट प्रदान करने की सहमति आई.डी. संख्या 5387 दिनांक 23.11.2011 द्वारा प्रदान की गई हैः–

1- जयपुर मेट्रो रेल के लिए अवाप्त की जा रही भूमि।
2- जयपुर रिंग रोड के लिए अवाप्त की जा रही भूमि।
3- राज्य के विभिन्न शहरो के नगरीय क्षेत्रों में बनाए जा रहे रेलवे ओवर ब्रिज/अण्डर ब्रिज के लिए अवाप्त की जा रही भूमि।
4- केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 17(1)(4) में अर्जेन्सी क्लाज के तहत अवाप्त की जा रही भूमि के प्रकरण एवं
5- ऐसे प्रकरण जिनमें 3 माह की अवधि में केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना की समयावधि समाप्त हो जायेगी।

अतः राज्य सरकार के सक्षम स्तर पर लिए गये निर्णयानुसार इस विभाग के उपरोक्त वर्णित प्रकरणों में अवाप्ताधीन भूमि के सम्बन्ध में मुआवजा एवं अन्य भुगतान की कार्यवाही जारी रखी जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पी.के.देब)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग को उनकी आई.डी.संख्या 5387 दिनांक 23.11.2011 के क्रम में नोटशीट की छाया प्रति सहित।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग ।
7. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
8. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
10. प्रबन्ध निदेशक, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जयपुर।
11. समस्त जिला कलेक्टर (राजस्थान)
12. शासन उप सचिव–प्रथम,द्वितीय,तृतीय–नगरीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. सचिव, नगर सुधार न्यास, अजमेर, भीलवाडा, भरतपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, अलवर, जैसलमेर, भिवाड़ी, आबू, श्रीगंगानगर।
14. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग को प्रेषित कर लेख है कि समस्त स्थानीय निकायो को निर्देशित करावे।

5/12/2011
(एन.एल.मीना)
शासन उप सचिव–तृतीय